न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजवीर सिंह चौधरी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या 22/2015, गुण्डा एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,दौसा जिला दौसा।

बनाम

2. श्री कैलाश पुत्र ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार उपस्थित।
: कैलाश जाटव – गैरसायल उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 9.4.2018

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा कि गैर सायल श्री कैलाश पुत्र ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा का रहने वाला है जो जुआ–सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाका में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। इसके विरूद्ध थाना महवा में निम्नलिखित मुकदमें दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा (जुर्माना) हुआ है–

1. मु0नं0 305/05 धारा 13 आर.पी.जी.ओ.थाना महवा जिला दौसा।
2. मु0नं0 101/06 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
3. मु0नं0 308/10 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा दौसा जिला दौसा।
4. मु0नं0 414/10 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा दौसा जिला दौसा।
5. मु0नं0 549/12 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा दौसा जिला दौसा।

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। गैर सायल उपस्थित हुआ। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य ली जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

अभियोजन पक्ष की साक्ष्य की गई। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना महवा की रिपोर्ट व बयानों में बताया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा पांच बार अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र थाना महवा में जुआ–सट्टा करता है एवं अन्य व्यक्तियों को भी जुआ–सट्टा हेतु

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

प्रेरित कर वातावरण को दूषित करता है तथा आम जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा को खतरा है। लोक अभियोजक द्वारा बहस में बताया गया कि श्री कैलाश पुत्र ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा जिला दौसा के इलाके में रहने से जुआ–सट्टा के दुष्प्रेरण एवं शान्ति भंग होने का अंदेशा है। इसके विपक्ष कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में कतराता है समाज में इनका भय बना हुआ है गांव में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल ने जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी उपरोक्त गतिविधियों में शामिल नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ संगीन किस्म का आरोप नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 13 आरपीजीओ के केस है इन केसों का निर्णय भी हो चुका है। जिसमें से एफ.आई.आर नं0308/2010 में प्रार्थी को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट महवा जिला दौसा द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 144/2010 में दिनांक 23.2.2013 को पारित निर्णय अनुसार धारा 13 आरपीजीओ के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। प्रार्थी पर वर्ष 2012 के पश्चात वर्ष 2018 तक किसी दीगर थाने एवं अदालत में कोई नया केस ना तो दर्ज है और ना ही विचाराधीन है। प्रार्थी शांतिपूर्ण जीवनयापन कर रहा एवं सदाचरण बरत रहा है। प्रार्थी निर्धन असहाय एवं गम्भीर रोग श्वास एवं दमा बीमारी से पीड़ित है। शरीर जर्जर अवस्था में है एवं अपराध करने की स्थित में भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. प्रकरण वर्ष 2005, 2006, 2010 एवं 2012 के हैं जो काफी पुराने हैं तथा इनमें से एफ.आईआर नं0 308/10 में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महवा जिला दौसा द्वारा दोषमुक्त किया गया है। इस्तगासा वर्ष 2015 में पेश किया गया है जबकि वर्ष 2013 से 2015 के मध्य प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल की शारीरिक स्थिति भी जर्जर दिखाई देती है।

उक्त विवेचनानुसार गैर सायल श्री कैलाश पुत्र ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण ड्रोप किया जाता है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक जिला दौसा को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official